राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : राआम/मुसप्र/2021/251 दिनांक : 12/07/21

संशोधित कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आंवासीय योजनाओं में उपलब्ध आवासीय सम्पत्तियों को सम्बंधित अतिरिक्त मुख्य अभियंता/उप आवासन आयुक्तों की अनुशंषा के आधार पर 0–25 प्रतिशत एवं 0–50 प्रतिशत स्लेब मे छूट प्रदान करते हुए एवं न्यूनतम नीलामी दर (MBP) पर ई–बिड सबमिशन (बुधवार नीलामी उत्सव) के तहत किराया क्रय पद्धति के माध्यम से 13 वर्ष की 156 मासिक किश्तों में ई–बिड सबमिशन से निस्तारण की आगामी बोर्ड बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में कार्यालय आदेश क्रमांक राआम/मुसप्र/2021/232 दिनांक 07–07–2021 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसमें सहवन से कुछ आवासों/फ्लैटों के नम्बर गलत टंकित हो गये है। जिसके सम्बन्ध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

जयपुर वृत्त–द्वितीय, जयपुर

क्र.स.	योजना/शहर का नाम	आय वर्ग	गलत टंकित	निम्नानुसार संशोधन किया जाता
1-	द्वारका अपार्टमेन्ट, मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर	MIG-B Flats	DWA/E-803	DWA/E-803 के स्थान पर DWA/F-803 पढ़ा एवं समझा जावे।
2-	द्वारका अपार्टमेन्ट, मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर	MIG-B Flats	DWA/E-102	पूर्व में निरस्तारित होने के कारण फ्लैट संख्या DWA/E-102 को विलोपित किया जाता है।

जयपुर वृत्त–तृतीय, जयपुर

क्र.स.	योजना/शहर का नाम	आय वर्ग	गलत टंकित	निम्नानुसार संशोधित किया जाता है
1-	नीलकंठ अपार्टमेन्ट इंदिरा गांधी नगर, जयपुर	MIG-A Flats	5/A/16 (TF)	5/A/16 (TF) के स्थान पर 5/C/16 (TF) पढ़ा एवं समझा जावे।
2-	महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना, जयपुर (विकेण्ड होम योजना)	LIG Houses	आंवास संख्या 82 दो बार टंकित हो गया है	पहले आवास संख्या 82 के स्थान पर आवास संख्या 80 पढ़ा एवं समझा जावे।
3-	दस्तकार नगर योजना, जयपुर (विकेण्ड होम योजना)	LIG Houses	आवास संख्या 5811 टंकित हो गया है	आवास संख्या 5811 के स्थान पर आवास संख्या 581 पढ़ा एवं समझा जावे।

पूर्व में जारी कार्यालय आदेश में जयपुर वृत्त–प्रथम, जयपुर के अन्तर्गत प्रताप नगर, सांगानेर आवासीय योजना के निम्नलिखित अपार्टमेन्ट के अधिशेष आवासों/फ्लैटों को 0–50 प्रतिशत छूट की स्लेब में सम्मिलित कर दिया गया था। जिसके सुधार हेतु निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

क्र.सं.	योजना का नाम	आवासों की श्रेणी	कुल आवास/फ्लैट की संख्या	प्रस्तावित छूट की स्लेब	
				0–25%	0–50%
1	प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर (द्वारकापुरी अपार्टमेन्ट)	**LIG Flats** न्यूनतम नीलामी दर **6,00,000/-** प्रति फ्लैट (लगभग 40% छूट)	1111	0	1111 लगभग 40% छूट
2	प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर (प्रताप अपार्टमेन्ट)	**LIG Flats** न्यूनतम नीलामी दर **8,00,000/-** प्रति फ्लैट (लगभग 63% छूट)	146	0	146 लगभग 63% छूट
3	प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर (गौमती अपार्टमेन्ट)	**MIG-A Flats** न्यूनतम नीलामी दर **25,00,000/-** प्रति फ्लैट (लगभग 35% छूट)	77	0	77 लगभग 35% छूट

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(कश्मी कौर)
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता–प्रथम, द्वितीय एवं मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम, द्वितीय, तृतीय जयपुर/जोधपुर।
4. निजी सचिव–वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त–...................... राजस्थान आवासन मण्डल, ... (संबंधित)
8. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड– .... (सम्बन्धित)
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0मं0, जयपुर।
11. प्रभारी मार्केटिंग सेल राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक